162

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला कल्याण कार्यालय)

अल्प कालीन निविदा सूचना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास में आवश्यक सामग्रियों (अनु0-i) की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।उक्त सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदा दाता/फर्म दिनांक 13.02.2017 को 05:00... बजे अपराह्न तक जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित कर सकते है।तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें दिनांक 16.02.2017को 11:00...... बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।निविदा खोलने के समय निविदा दाता स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की सूची एवं पूर्ण जानकारी इच्छुक निविदा दाता जिला के वेबसाईट **www.kishanganj.bih.nic.in** पर देख सकते है।

निविदा की शर्ते-

1. निविदा के साथ मो0 20000.00 (बीस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत, जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के पदनाम से अग्रधन के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदा के समय निविदादाता को निविदा मदवार सूची के अनुरूप खाद्यान सामग्रियो का नमूना रखना अनिवार्य होगा।नमूना उपलब्ध नहीं रहने पर संबंधित फर्म के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।अन्य सामग्रियों का विशिष्टता के अनुरूप आपूर्ति नहीं कियें जाने पर भुगतान रोक दिया जायेगा।
3. निविदा दाता/फर्म को बिहार वाणिज्यकर (VAT) एवं आयकर (PAN No.) में निबंधित होने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. मुहरबन्द निविदा द्वि लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत होगी।इसमे तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में देना होगा।वित्तीय निविदा में मात्र दर प्रतिवेदित होगा।
5. आपूर्ति कर्त्ता को विगत तीन वर्ष का आयकर रिर्टन जमा करना होगा।
6. आपूर्ति कर्त्ता को बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम/उधोग विभाग से पंजीकरण संबंधी कागज संलग्न करना होगा।
7. आपूर्ति कर्त्ता को विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना होगा।
8. आपूर्ति कर्त्ता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
9. निविदा में स्वीकृत दर पर सामग्री संबंधित विद्यालय/छात्रावास में आपूर्ति करना होगा।इसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
10. निविदा में स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात आपूर्ति किय गये सामग्रियों पर निर्धारित (VAT) की राशि एवं आयकर की राशि की कटौती करके भुगतान की जायेगी।
11. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियो में त्रुटि पाये जाने या निर्धारित तिथि तक नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. बिना किसी कारण बताये निविदा संशोधन करने, रद्द करने या स्थगित करने तथा स्वीकृत न्यूनतम पर एक से अधिक आपूर्ति कर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
14. किसी भी प्रकार का न्यायिक दावा किशनगंज जिला न्यायिक क्षेत्र के अन्तर्गत मान्य होगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी
किशनगंज

उप विकास आयुक्त
किशनगंज।

सामग्रियों की सूची (अनु0–i)

क्र0	सामग्रियो का नाम	संख्या
1	2	3
1	साबुन रीन 150 ग्राम	
2	साबुन लाईफ बॉय 75 ग्राम	
3	साबुन लक्स 75 ग्राम	
4	सर्फ रीन – 500 ग्राम पैकेट	
5	सर्फ ह्वील – 500 ग्राम पैकेट	
6	निहार नारियल तेल 50 ग्राम बोतल	
7	निहार नारियल तेल 100 ग्राम बोतल	
8	नील रोबीन 50 ग्राम बोतल	
9	टूथ ब्रश कोलगेट प्रति नग	
10	टूथ पेस्ट कोलगेट 50 ग्राम	
11	हारपिक प्रति बोतल	
12	एसिड प्रति बोतल	
13	झाडू प्रति नग	
14	जेनरेटर 63 केवी0 (अशोक लिलेन्ड, बिरला पॉवर, किलोस्कर, महेन्द्रा) स्थापित कर (Sound less)	01

जिला कल्याण पदाधिकारी
किशनगंज

उप विकास आयुक्त
किशनगंज